



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

महेंद्रगढ़, हरियाणा
वेबसाइट: www.cuh.ac.in

दिनांक: 04.11.2025

विज्ञापन एजेंसियों को पैनलित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई)

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विज्ञापन एजेंसियों के पैनलीकरण हेतु इच्छुक एजेंसी/एजेंसियों से सीलबंद अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रारंभिक अनुबंध पैनलीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संबंधित एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन पर अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय समाचार पत्र सोसायटी (आईएनएस) से मान्यता प्राप्त तथा विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया इत्यादि क्षेत्रों में अनुभवी एजेंसी/एजेंसियाँ विभिन्न विज्ञापन कार्य प्रबंधन अनुभव एवं पात्रता के पर्याप्त साक्ष्यों सहित आवेदन कर सकती हैं। विस्तृत निर्देशों से युक्त ईओआई दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा 1180/- रुपये (केवल एक हजार एक सौ अस्सी रुपये) के अप्रतिदेय भुगतान पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड कक्ष संख्या 110 से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के साथ ईओआई आवेदन की लागत यानी जीएसटी सहित 1180/- रुपये (केवल एक हजार एक सौ अस्सी रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में एवं महेंद्रगढ़ में देय हो संलग्न करें। सफल एजेंसी को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में एवं महेंद्रगढ़ में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) की निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। एजेंसी/एजेंसियों को निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के पास बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय अभिरुचि की अभिव्यक्ति को अस्वीकार करने का अधिकार है। ईओआई को एक सीलबंद लिफाफे में आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर करके आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। लिफाफे पर एजेंसी का नाम एवं पता सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जांट-पाली, महेंद्रगढ़ के प्रशासनिक खण्ड के कक्ष संख्या-110 में 26.11.2025 को या पहले अपराह्न 01.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। ईओआई दस्तावेजों को 26.11.2025 को अपराह्न 3.00 बजे (एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में) खोला जाएगा। यदि ईओआई प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अवकाश/बैंक अवकाश है, तो अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) अगले कार्य दिवस तक उसी समय तक प्राप्त कि जाएगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. सम-कुलपति के नीजी सहायक, माननीय सम-कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. कुलसचिव के नीजी सहायक, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।

1. पात्रता मानदंड

निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसियों पर विचार किया जाएगा:

- 1.1 आईएनएस मान्यता प्राप्त एजेंसी जिसके पास न्यूनतम पाँच वर्ष का निरंतर अनुभव हो। नामाधिकार (फ्रैंचाइजी) एजेंसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 में विज्ञापन व्यवसाय से 5 से 25 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर हो। **(पुष्टि के लिए सी.ए. प्रमाण पत्र संलग्न करें)।**
- 1.3 एजेंसी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में 1.5 करोड़ से अधिक का एकल प्रिंट एवं मल्टीमीडिया कार्य अथवा 50 लाख या अधिक के न्यूनतम दो मीडिया कार्य निष्पादित किए हों।
- 1.4 एजेंसी ने पिछले तीन वर्षों में किसी एक वर्ष के दौरान शिक्षा ग्राहकों जैसे विश्वविद्यालयों/एनआईटी/आईआईटी या केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थान इत्यादि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 5 प्रवेश/रोजगार नोटिसों का संचालन किया हो। **(कार्य आदेश संलग्न करें)**
- 1.5 एजेंसी के नाम पर आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर।
- 1.6 एजेंसी के नाम पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी जीएसटीआईडी संख्या।
- 1.7 एजेंसी के पास नवीनतम आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, निकासी/प्रस्तुति चालान आदि हो।
- 1.8 वर्ष 2023-24, 2024-25 के दौरान भारत सरकार/किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के न्यूनतम दो संगठनों की विज्ञापन एजेंसियों के पैनल में हो।
- 1.9 अत्याधुनिक अवसंरचना तथा जनशक्ति/रचनात्मक कार्मिकों के साथ पूर्णतः स्थापित कार्यालय हो, (पूर्णकालिक कार्मिकों की संख्या पदनाम सहित ईओआई के समय प्रस्तुत करनी होगी)।
- 1.10 एजेंसी का न्यूनतम एक प्रसिद्ध सर्च इंजन जैसे गूगल पार्टनर/याहू पार्टनर या बिंग पार्टनर के साथ संबद्धता हो अथवा केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के डिजिटल कार्यक्रम के साथ पैनलित हो **(प्रमाणपत्र संलग्न करें)।**
- 1.11 एजेंसी का न्यूनतम एक राष्ट्रीय/क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी चैनल/रेडियो) के साथ संबद्धता हो अथवा केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के मल्टीमीडिया कार्यक्रम के साथ पैनलित हो **(प्रमाणपत्र संलग्न करें)।**
- 1.12 एजेंसी को पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इत्यादि द्वारा प्रतिबंधित/पैनल से हटाया/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो। सरकार या सरकारी एजेंसियों के पास कोई शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए। **(इस संबंध में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करें)।**

2. कार्यक्षेत्र:

2.1 विज्ञापन

विज्ञापन एजेंसियों से अपेक्षित है कि वे अल्प सूचना पर देश भर के प्रमुख/स्थानीय/क्षेत्रीय समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन तथा व्यावसायिक दलों पर विज्ञापनों की संकल्पना, डिजाइन तथा प्रकाशन करें। कार्य को कुशलतापूर्वक एवं शीघ्रता से पूरा करने के लिए एजेंसियों के पास आवश्यक अवसंरचना एवं रचनात्मक पेशेवर होने चाहिए। विज्ञापन एजेंसियों को आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर होर्डिंग, इवेंट होर्डिंग आदि के लिए विज्ञापन फ़िल्मों का निर्माण भी करना पड़ सकता है। विज्ञापन एजेंसी को सर्च इंजन, सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सर्च तथा डिस्प्ले अभियान निष्पादन करने की आवश्यकता हो सकती है।

3. निर्देश:

- 3.1 ईओआई को अलग से एक सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा, अर्थात् ईओआई फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर सभी आवश्यक दस्तावेज एक ही लिफाफे में होने चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर एजेंसी का नाम एवं पता सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए। आदेशिका की पालना ना करने पर तत्काल निरहर्क घोषित किया जा सकता है।
- 3.2 प्रारंभ में विज्ञापन एजेंसियों को दो वर्ष के लिए पैनलित किया जाएगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन पर हकेवि द्वारा अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- 3.3 बिल भुगतान एजेंसी की संतोषजनक सेवाओं के तत्पश्चात किया जाएगा। एजेंसी की सेवाओं को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारी द्वारा संतोषजनक/असंतोषजनक मानकों पर प्रमाणित किया जाएगा। बिलों के विलंबित प्रस्तुतीकरण तथा असंतोषजनक सेवाओं के कारण भुगतान नहीं करने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एजेंसी को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान स्थानीय क्रॉसड चेक/बैंक हस्तांतरण/आरटीजीएस इत्यादि के द्वारा किया जाएगा।
- 3.4 पैनलित विज्ञापन एजेंसी से अपेक्षित होगा कि वह उच्च स्तरीय वृत्तिक आचारनीति रखें तथा ऐसे कोई कृत्य न करें जो हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक हो।
- 3.5 कलाकृति/डिजाइन का चयन/स्वीकृति हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के एकल पूर्ण विवेक पर होगी तथा इसके लिए कोई प्रभार नहीं देय होगा।
- 3.6 सभी विज्ञापन/कार्य एजेंसी द्वारा हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के पश्चात किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की भूल-चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

- 3.7 यदि अनुमोदित विज्ञापन से भिन्न विज्ञापन मुद्रित या प्रकाशित हो जाता है तो एजेंसी अपने व्यय पर शीघ्रता से शुद्धिपत्र एवं सही विज्ञापन आदि प्रकाशित करेगी।
- 3.8 एजेंसी/फर्म/कंपनी हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए निष्पादित की गई सेवाओं से संबंधित सभी कर्तव्यों को तत्समयी नियमों एवं विनियमों के अनुसार संबंधित कर संग्रह प्राधिकरण को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 3.9 जब भी आवश्यक है, विज्ञापन सामग्री का अनुवाद एजेंसी द्वारा निःशुल्क किया जाएगा तथा सही अनुवाद करना एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
- 3.10 विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापनों, मुद्रण सामग्री आदि की संकल्पना, निर्माण, डिजाइन एवं विकास के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान/प्रभार नहीं दिया जाएगा।
- 3.11 विज्ञापन एजेंसी प्रत्येक समाचार पत्र का रेट कार्ड ससमय जमा कराएगी, जो अगले आशोधन/परिशोधन तक मान्य रहेगा। रेट कार्ड में किसी आशोधन/परिशोधन पर एजेंसी तत्काल हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सूचित करेगी।
- 3.12 हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक से अधिक विज्ञापन एजेंसियों को पैनलित किया जा सकता है तथा दर(रेट) के अनुसार पूर्णतः निर्बाध रूप से किसी एक या अधिक के माध्यम से अपनी इच्छानुसार विज्ञापन जारी कर सकती है। यद्यपि, एजेंसी पैनलीकरण के बावजूद, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय को पैनलित विज्ञापन एजेंसियों के बिना सीधे विज्ञापन जारी करने अधिकार रहेगा।
- 3.13 हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष मानदंडों के आधार पर, एजेंसी को दिए गए कार्यों के निष्पादन की नियमित रूप से समय-समय पर सीमाक्षा की जाएगी। यदि एजेंसी विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है, तो विश्वविद्यालय को पैनल समाप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
- 3.14 पैनलित एजेंसी को कार्य निष्पादन के लिए किसी अन्य उप-एजेंसी की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.15 विश्वविद्यालय द्वारा पैनलित एजेंसी को न्यूनतम व्यवसाय या कार्य की गारंटी नहीं है। पैनलित एजेंसी को सुपुर्द कार्य हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा एजेंसी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।
- 3.16 अंतिम तारीख एवं समय के पश्चात तथा अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3.17 पैनलीकरण तथा अन्य संबंधित सभी मामलों में हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.18 जहां भी ईओआई दस्तावेज में विशिष्ट निबंधन व शर्तें उल्लेखित नहीं हैं, वहां केंद्र सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियम लागू होंगे।
- 3.19 हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी एजेंसी को पैनल से हटाने का अधिकार होगा। हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय पैनलित एजेंसियों के लिए निबंधन व शर्तों में आशोधन करने का अधिकार भी है।
- 3.20 सफल बोलीदाता को प्रस्ताव पत्र जारी होने के 10 दिनों के अंतर्गत दस्तावेज/भुगतान जमा करने होंगे। एजेंसी को प्रस्ताव पत्र जारी होने के सात दिनों के अंतर्गत हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार मात्र) की निष्पादन सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी जो महेंद्रगढ़ में देय हो। निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 3.21 **माध्यस्थम्:**
- यदि हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं एजेंसी के मध्य अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद है, तो दोनों पक्ष पारस्परिक परामर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे।
 - यदि पक्षकार आपसी परामर्श से अपने विवाद या मतभेद को सुलझाने में असफल रहते हैं, तो मामला एकमात्र माध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा; जिसकी नियुक्ति हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा भारतीय माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुरूप महेंद्रगढ़ में की जाएगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
 - माध्यस्थम् का स्थान महेंद्रगढ़, हरियाणा, भारत में स्थित होगा।
- 3.22 **न्यायालय की शासकीय विधि एवं क्षेत्राधिकार:**
- हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा एजेंसियों के मध्य करार से उत्पन्न सभी विवादों, यदि कोई है, की सुनवाई का विशेषाधिकार महेंद्रगढ़ स्थित न्यायालय को होगा। अनुबंध भारत गणराज्य की विधि अनुसार शासित एवं अन्वय किया जाएगी।



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

संसद अधिनियम 25 (2009) के अंतर्गत स्थापित
महेंद्रगढ़ (हरियाणा) 123031

विज्ञापन एजेंसियों के पैनलीकरण के लिए

आवेदन प्रपत्र

('ए' अंकित लिफाफे में अलग से जमा करें)

संलग्नक- I

भुगतान विवरण

डीडी नं. _____

डीडी राशि _____

बैंक नाम/शाखा _____

प्रोप्राइटर की
नवीनतम स्व-
सत्यापित पासपोर्ट
आकार की फोटो
चिपकाएं

1. विज्ञापन एजेंसी का नाम:

क. प्रोप्राइटरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी, जो है _____

ख. गठन _____

ग. निदेशक/प्रभारी का नाम _____

घ. संपर्क सूत्र _____

2. मुख्य कार्यालय:

क. पूरा पता _____

ख. टेलीफोन नंबर _____

ग. फैक्स नंबर _____

घ. ई-मेल पता _____

3. शाखा कार्यालय:

क. पूरा पता _____

ख. टेलीफोन नंबर _____

ग. फैक्स नंबर _____

घ. ई-मेल _____

(यदि आवश्यक है, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

4. संपर्क सूत्र

क. नाम _____

ख. पदनाम _____

ग. संपर्क नंबर _____

घ. फैक्स नंबर _____

ई. ई-मेल _____

5. स्थापना वर्ष (साक्ष्य संलग्न करें) _____

6. पंजीकरण संख्या _____

7. कार्मिकों की संख्या (पूर्णकालिक) पदनाम सहित _____

(यदि आवश्यक है, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

8. वर्ष (एजेंसी का आईएनएस से प्रत्यायन)

9. आईएनएस प्रत्यायन की वैधता अवधि

10. एजेंसी के नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी जीएसटीआईएन नंबर

11. एजेंसी के नाम आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर

12. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का वार्षिक टर्न ओवर (दस्तावेजी साक्ष्यों सहित)

13. क्या एजेंसी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी गतिविधियों के किसी शैक्षणिक संगठन के पैनल में हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें (यदि आवश्यक है, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

14. क्या दूरदर्शन से प्रत्यायित हैं (हाँ/नहीं)

15. क्या ऑल इंडिया रेडियो से प्रत्यायित हैं (हाँ/नहीं)

नोट: कृपया, जहां भी लागू हो, प्रत्यायन प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, कार्य आदेश, रिलीज आदेश आदि की फोटो प्रतियों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराएं।

घोषणा

- मैं,(व्यक्ति का नाम)
.....(एजेंसी का नाम) की ओर से घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ
एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त एजेंसी के पास:
क. अपेक्षित जनशक्ति सहित (शहर) में पूर्णतय: सुज्जित कार्यालय स्थापित है।
ख. हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च स्तरीय संचार में रचनात्मकता है।
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य/गलत है या एजेंसी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने पर करती है, तो हमारी उम्मीदवारी/पैनल में नाम को रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा।
- मैं समझता हूँ कि हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय सभी मामलों में अंतिम हैं।
- मैं हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संशोधित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
- मैं समझता/समझती हूँ कि हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय को किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बिना कोई विशेष कारण बताए पैनल प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।

मोहर सहित हस्ताक्षर _____

स्थान _____

नाम _____

दिनांक _____

पदनाम _____

(तकनीकी बोली लिफाफे में प्रस्तुत करें)

शपथ पत्र के लिए प्रोफार्मा

10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाए।

(नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र)

मैं,पुत्र.....

निवासी पुलिस स्टेशन जिला

(फर्म का नाम)..... का ठेकेदार/साझेदार, + या एकमात्र प्रोप्राईटर (जो लागू न हो उसे काट दें) शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- I. मैं/मेरी फर्म/कंपनी को संघ या राज्य सरकार/संगठन द्वारा काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में नहीं डाला गया है।
- II. संघ या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाले गए किसी भी व्यक्ति/फर्म/कंपनी या उसके किसी भी साझेदार या शेयरधारक का मेरी फर्म के व्यवसाय से कोई सीधा संबंध नहीं है या उसमें कोई हित नहीं है।
- III. मैं या मेरे साझेदार किसी भी आपराधिक मामले/आर्थिक अपराध में शामिल/दोषी नहीं हैं तथा मेरे या मेरे साझेदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय /पुलिस में पंजीकृत कोई आपराधिक मामला/आर्थिक अपराध लंबित नहीं है।

दिनांक.....

अभिसाक्षी.....

सत्यापन

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा और प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी.....

ईएमडी विवरण:

मांग ड्राफ्ट
(मूल प्रति संलग्न करें)

प्रोप्राइटर की
नवीनतम स्व
सत्यापित पासपोर्ट
आकार की फोटो
चिपकाएं

एजेंसी का पूरा नाम

स्थापना वर्ष

पत्राचार के लिए पता

.....

फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी.....।

स्थायी पता

.....

फ़ोन नं. मोबाइल नं.

साक्षी – I

साक्षी – II

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

पता.....

पता.....

फ़ोन नंबर

फ़ोन नंबर

मोबाइल नंबर

मोबाइल नंबर

ईओआई (तकनीकी भाग) में रखे जाने वाले दस्तावेज़

1. आवेदन प्रपत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट (यदि लागू है)
2. बयाना राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट
3. विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र
4. अनुलग्नक-II एवं III
5. फर्म/कंपनी/एजेंसी का पैन नंबर
6. जीएसटीआईएन नं.
7. निवास प्रमाण एवं पहचान प्रमाण
8. स्वामित्व/साझेदारी विलेख दस्तावेज़ की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
9. ईओआई आवेदन प्रपत्र पर चिपकाया गया स्व-सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो।
10. इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक/फर्म/एजेंसी के पास ईओआई आवेदन पत्र में वर्णित व्यवसाय संचालन के लिए हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ में स्वयं या किसी साझेदार/निकट संबंधी अर्थात् पुत्र/पुत्री/पिता/माता के नाम पहले से कोई समवर्ती लाइसेंस नहीं है।
11. विधिवत हस्ताक्षरित वर्तमान आईटी रिटर्न।

ईओआई जमा करने के लिए चेकलिस्ट

(चेकलिस्ट विधिवत भरकर ईओआई आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें)

ईओआई फॉर्म के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों पर क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर करें।

एजेंसी का नाम:- _____

कार्य का नाम: - विज्ञापन एजेंसियों का पैनलीकरण

क्रमांक	दस्तावेज	प्रतिलिपि या प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न है हां/नहीं	पृष्ठ सं.	सत्यापित (केवल आधिकारिक प्रयोग के लिए)
1.	ईओआई फॉर्म के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए गए हैं (कृपया हां/नहीं लिखें)			
2.	ईओआई आवेदन डिमांड ड्राफ्ट			
3.	विधिवत सत्यापित निवास प्रमाण			
4.	फर्म के मामले में स्वामित्व/साझेदारी विलेख दस्तावेज की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी			
5.	आवेदन प्रपत्र पर स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाई गई है।			
6.	इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक/फर्म/एजेंसी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं है।			
7.	इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक/फर्म के पास ईओआई फॉर्म में वर्णित व्यवसाय संचालन के लिए हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ से स्वयं या किसी साझेदार/निकट संबंधी अर्थात् पुत्र/पुत्री/पिता/माता के नाम पहले से समवर्ती लाइसेंस नहीं है।			
8.	पैन नंबर			
9.	जीएसटीआईएन नं.			
10.	पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज (पात्रता मानदंड देखें)			
11।	कोई अन्य दस्तावेज			

नोट: लिफाफे पर विज्ञापन के पैनल के लिए ईओआई फॉर्म एवं विज्ञापन एजेंसी के पैनल के लिए ईओआई दस्तावेज तथा एजेंसी का नाम भी लिफाफे पर लिखा होना चाहिए।

लिफाफे पर एजेंसी/बोलीदाता का नाम भी लिखा हो। एजेंसी का नाम सहित पूरा पता तथा कार्य विवरण भी लिफाफे पर सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए।

आवेदन पत्र अहस्तांतरणीय है

दिनांक:-----



CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

MAHENDERGARH, HARYANA

Website: www.cuh.ac.in

Dated: 04.11.2025

Expression of Interest (Eoi) for Empanelment of Advertising Agency(s)

On behalf of the Registrar, Central University of Haryana, sealed Eoi applications are invited from the interested agency/agencies for Empanelment of Advertising Agencies for Central University of Haryana. The Initial contract would be for a period of three years from the date of empanelment, which may be extended for maximum one year depending upon satisfactory performance of the concerned Agency. The agency/agencies accredited with Indian Newspaper Society (INS) and having experience in the field of advertising, electronic media, Digital Media etc. may apply along with sufficient proof of their experience and ability of handling various advertising works. Eoi documents containing detailed instructions can be downloaded from the University website www.cuh.ac.in free of cost or obtained from Room No. 110, Administrative Block, Central University of Haryana on non-refundable payment of Rs.1180/- (One Thousand One Hundred Eighty only). Application cost of the Eoi i.e. Rs.1180/- (One Thousand One Hundred Eighty only) including GST should accompany the application in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Central University of Haryana payable at Mahendergarh. Agencies fulfilling all the Eoi related conditions should deposit the performance security amounting to Rs. 1,50,000/- (One Lac Fifty Thousand only) in the form of Demand Draft in Favour of Central University of Haryana payable at Mahendergarh. No interest on performance security shall be paid to the agency/agencies. University reserves the right to reject any or all the Eoi at any time, without assigning any reason. Eoi must be submitted in one sealed envelope duly signed Eoi Application form on every page along with all the required documents. The name of Agency with address should be clearly mentioned on the envelope.

Eoi should reach Room No.-110, Administrative Block, Central University of Haryana, Jant-Pali, Mahendergarh up to 1.00 PM on or before 26.11.2025. Eoi document shall be opened on 26.11.2025 at 3.00 PM (in the presence of Agency or their authorized representative.) In case, the last date of receipt of Eoi happens to be a holiday/bank holiday, the Eoi will be received till the next working day up to the same time.

Registrar

Copy to:-

1. Assistant Registrar, Vice-Chancellor secretariat, for the information of Hon'ble Vice-Chancellor.
2. P.A. to Pro Vice-Chancellor, for the information of Hon'ble Pro Vice-Chancellor.
3. P.A. to Registrar, for the information of the Registrar.

1. Eligibility Criteria

The agencies meeting the following eligibility criteria would be considered:

- 1.1 A minimum **five year** of continuous experience as an INS accredited agency. Franchises as entitles will not be considered.
- 1.2 A yearly turnover of Rs. 5 to 25 Crore in last three financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 **(C.A. Certificate to be enclosed in support)** from the Advertising business.
- 1.3 Agency should have executed single Print and multimedia job of more than 1.5 crore or minimum two media jobs of 50 lacs and above in last two financial years.
- 1.4 Agency should have handled at least 5 Admission/Employment Notices on National level for Education clients like Universities/NITs/IITs or Central & State level educational institution etc. during any one year in the last three years **(Work orders to be enclosed.)**
- 1.5 PAN number issued by the IT department on the name of the agency.
- 1.6 GSTID number issued by the Central Excise Department in favour of the agency.
- 1.7 Agency should have filed latest Income Tax, Sales Tax, Service Tax, clearance/Submission challan etc.
- 1.8 Should be in the panel of advertising agencies of at least two Govt. of India/any State Govt. /Public Sector Undertaking organizations during the year 2023-24, 2024-25.
- 1.9 Full-fledged established office with state-of the-art infrastructure and manpower/creative personnel (Staff strength (full time) with designation) shall be supplied at the time of EoI.
- 1.10 Agency should have minimum one association with famous Search Engine like Google Partner/Yahoo Partner or Bing Partner or should be empanelled with Digital Programme of Central/State Govt./PSU **(Certificate to be enclosed)**.
- 1.11 Agency should have minimum one association with National/Regional electronic media (TV Channel/Radio) or should be empanelled with Multimedia Programme of Central/State Govt./PSU **(Certificate to be enclosed)**.
- 1.12 Agency should not have been barred/depanelled/black listed by any department of government, PSU, etc. during last 5 years. No complaint should be pending with Government or its agencies. **(Notary attested Affidavit, in this regard, should be submitted)**.

2. Scope of work:

2.1 Advertising

The advertising agencies are expected to conceptualize, design and release advertisements on Bureau of Outreach and Communication and commercial rates in major/local/regional newspapers/magazines all over the country at short notice. The agencies must have necessary infrastructure and creative professionals to handle this job efficiently and promptly. The advertising agencies may also be required to produce ad films for electronic media, outdoor hording, event hording etc. as and when required. The advertising agency may also be required to run search & display campaigns on search engines and social media and other digital platform.

3. Instructions:

- 3.1 EoI must be submitted in a sealed envelope separately i.e., the EoI form duly signed on every page along with all the required documents in one envelope. Envelope is to be sealed and the name of Agency with address should be clearly mentioned on the envelopes. Those who fail to follow this procedure may be disqualified forthwith.

- 3.2 Advertising Agency(ies) will be empanelled initially for a period of two years, which may be extended for maximum one year depending upon satisfactory performance as decided by the CUH.
- 3.3 Payment against Bill shall be made only after satisfactory services of agency. Services of agency will be certified for satisfaction / non- satisfaction by the concerned Central University of Haryana official. No interest will be payable on the non-payment due to delayed submission of bills and non-satisfactory services. No advance payment will be made. The payment will be made by local crossed cheque / bank transfer/RTGS etc.
- 3.4 The empanelled Advertising Agency is expected to maintain high level of professional ethics and will not act in any manner which is detrimental to the interest of the Central University of Haryana.
- 3.5 Selection/acceptance of art work/design will be at the sole discretion of the Central University of Haryana and no charges will be paid for artwork/design, etc.
- 3.6 All the advertisements/assignments will be carried out by the Agency after prior approval of the Central University of Haryana and the University will not be responsible for error of omission or commission.
- 3.7 If the advertisement is misprinted or published differently from the approved one, the Agency will publish corrigendum and correct advertisement, etc. thereof at their own cost at shortest possible time.
- 3.8 The agency/firm/company shall be liable for depositing all taxes on account of services rendered by it to Central University of Haryana to concerned tax collection authorities from time to time as per extant rules and regulations on the matter.
- 3.9 Translation of the advertisement matter, whenever required, will be done by the Agency free of cost and the Agency will be responsible for the correct translation.
- 3.10 No extra payment/charges shall be paid by the University for Conceptualization, creation, designing and development of advertisements, printing material, etc.
- 3.11 The Advertising Agency has to submit the Rate Card of each and every newspaper well in advance, which will be valid till next modification/revision. Whenever any modification/revision in Rate Card happens the same should be immediately communicated to the Central University of Haryana by the agency.
- 3.12 The Central University of Haryana may empanel more than one Advertising Agency, and shall be completely at will free to release advertisements through any one or more of them depending upon rate. However, the act of empanelment shall not prohibit the Central University of Haryana from its right to release advertisement directly without routing them through the empanelled advertising agencies.
- 3.13 The performance of the agency shall be regularly reviewed on the key parameters as decided by Central University of Haryana from time to time in execution of assignments given to them. In case, the Agency fails to meet the requirements of the University, the University shall be constrained to terminate the empanelment.
- 3.14 Empanelled Agency will not be allowed to engage any other Sub-agency to execute the assigned work/job.
- 3.15 The University does not guarantee any minimum business or assignment to empanelled agency. Work given to empanelled agency will depend on the requirements, financial resources available with Central University of Haryana and the performance of the Agency.

- 3.16 Applications received after the due date and time and without requisite documents will be summarily rejected.
- 3.17 The decision of the competent authority of the Central University of Haryana shall be final in all matters relating to the empanelment and decision thereof.
- 3.18 Where ever specific terms and conditions have not been spelt out in EoI document, General Finance and Accounts Rules of the central government shall apply.
- 3.19 Central University of Haryana will have the right to drop any Agency from the empanelled list without assigning any reasons whatsoever. Central University of Haryana also reserves the right to modify the Terms and Conditions for empanelled Agencies.
- 3.20 Documents/Payments are to be submitted / deposited by the successful bidder within 10 days from the issue of offer letter. Agency should also deposit the performance security amounting to Rs. 1,50,000/- (One Lac Fifty thousand only) in the form of Demand Draft in Favour of Central University of Haryana payable at Mahendergarh within seven days from issue of offer letter. No interest on performance security shall be paid.
- 3.21 Arbitration:**
- (a) If dispute or difference of any kind arises between Central University of Haryana and the agency, in connection with or relating to the contract, the parties shall make every effort to resolve the same amicably by mutual consultations.
 - (b) If the parties fail to resolve their dispute or difference by such mutual consultation, the same shall be referred to the sole arbitrator; to be appointed by the Vice Chancellor, Central University of Haryana at Mahendergarh as per the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, whose decision will be final & binding on both the parties.
 - (c) The venue of arbitration shall be Mahendergarh, Haryana, India
- 3.22 Governing laws and Jurisdiction of the Court:**
- The courts at Mahendergarh shall have the exclusive jurisdiction to try all disputes, if any, arising out of the agreement between the CUH and agencies. The Contract shall be governed and construed in accordance with the laws of republic of India.



CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

Established vide Act 25 (2009) of the Parliament
Mahendergarh (Haryana)123031

Annexure-I

Payment Details

DD No. _____

DD Amount _____

Bank Name/Branch _____

Affix self
attested latest
Passport Size
Photograph of
Proprietor(s)

APPLICATION FORM

For

EMPANELMENT OF ADVERTISING AGENCIES

(To be submitted in separate envelope marked-A)

1. Name of the Advertising Agency:

a. Whether Proprietorship/Pvt.Ltd./Ltd.Co. _____

b. Constitution _____

c. Name of the Director/In-charge _____

d. Name of the contact person _____

2. Head Office:

a. Complete Address _____

b. Telephone Number(s) _____

c. Fax Number _____

d. E-mail address _____

3. Branch Office (s):

a. Complete Address _____

b. Telephone Number(s) _____

c. Fax Number _____

d. E-mail address _____

(Add separate sheet, if required)

4. Contact person

a. Name _____

b. Designation _____

c. Contact Number(s) _____

d. Fax Number _____

e. E-mail address _____

5. Year of Establishment (attach proof) _____

6. Registration Number _____
7. Staff strength (full time) with designation _____
(Attach separate sheet, if required) _____
8. Year in which INS accreditation was given to the agency _____
9. Validity period of INS accreditation _____
10. GSTIN No. issued by the Central Excise Department in favour of the agency _____
11. PAN Number issued by the IT Department in Favour of the agency _____
12. Annual Turnover for the financial year 2022-23, 2023-24, 2024-25 (Along with documentary proof) _____
13. Are you on the panel of any educational organization having activities similar to that of the Central University of Haryana? If yes, give details (Attach separate sheet, if required)

14. Are you accredited to Doordarshan (Yes/No) _____
15. Are you accredited to All India Radio (Yes/No) _____

Note: Documentary evidences may please be provided, wherever applicable, in the form of photo copies of Accreditation Certificates, Audit Reports, Work Orders, Release Orders, etc.

Declaration

1. I,(name of the person) am authorized to declare on behalf of the(name of the agency) hereby declare that the said agency have:
 - a. Full-fledged office established in _____ (city) with needed manpower.
 - b. Creativity in communication of high standard befitting the expectations of the Central University of Haryana.
2. I also declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that if at any stage, it is found that any information given in this application is false/ incorrect or that our

agency do not satisfy the eligibility criteria, our candidature/ empanelment is liable to be cancelled/ terminated.

3. I understand that the decisions taken by the Central University of Haryana are final in all matters.
4. I hereby agree to work as per the terms and conditions rolled out by Central University of Haryana as amended from time to time.
5. I understand that the Central University of Haryana reserves right to accept or reject any application and to cancel the empanelment process without detailing any specific reasons whatsoever thereof.

Signature with seal _____

Place_____

Name_____

Date_____

Designation_____

(To be placed in Envelope Technical Bid)

PROFORMA FOR AFFIDAVIT

TO BE WRITTEN ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS. 10/-

(Notary attested affidavit)

I,S/o.....

R/o..... Police Station.....District.....

Contractor/partner, + or sole propriety (Strike out the work which is not applicable) of (firm on contractor)

- I. I /my firm/company is not blacklisted by the Union or State Govt./Organisation.
- II. No individual/firm/companies blacklisted by the Union or State Government or any partner or shareholder thereof, have any connection directly with or has any subsisting interest in business of my firm.
- III. I or my partners are not involved / convicted in any criminal case/economic offence and no criminal case/economic offence is pending against me or my partner in any court of Law/Registered with police.

Dated.....

Deponent.....

VERIFICATION

I do hereby solemnly declare and affirm that the above declaration is true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and it conceals nothing.

Deponent.....

EMD Details:

Demand Draft
(Enclose the original)

Affix self
attested latest
Passport Size
Photograph of
Proprietor(s)

Name in full (of Agency)

Year of establishment.....

Address for correspondence.....

.....

Phone No..... Mobile No.....

e-mail id.....

Permanent Address

.....

Phone No..... Mobile No

Witness – I

Witness – II

Signature.....

Signature

Name.....

Name

Address.....

Address.....

Phone No.....

Phone No

Mobile No

Mobile No.....

Documents to be placed in EoI (Technical Part)

1. Demand Draft on Account of application Form (if applicable)
2. Demand Draft on Account of Earnest Money
3. Application Form duly signed
4. Annexure-II & III
5. PAN No. of Firm/Company/Agency
6. GSTIN No.
7. Residence Proof & Identity Proof.
8. Self-attested Photocopy of ownership/partnership deed document.
9. Self-Attested Passport Size Photograph pasted on the application of EoI Application form.
10. An affidavit to the effect that the applicant/firm/Agency either himself/herself or through any partner/close relation i.e son/daughter/father/mother does not already have a concurrent licence from the Central University of Haryana, Mahendergarh for running the trade mention in the EoI Application form.
11. Current IT return duly signed.

Checklist for submission of EoI

(This checklist duly filled should be enclosed with the EoI application form)

All the documents enclosed with the EoI form should be numbered and signed.

Name of the Agency:-_____

Name of work: - **EMPANELMENT OF ADVERTISING AGENCIES**

Sr. No.	Documents	Photocopy enclosed or Relevant Documents Yes/ No	Page No.	Verified (for official use only)
1.	All the pages of EoI form are signed (please write Yes/No)			
2.	EoI application Demand Draft			
3.	Residence Proof duly attested			
4.	Self-attested Photocopy of ownership/partnership deed document in case of firm			
5.	Self-attested Passport size photographs pasted on the Application form.			
6.	Affidavit to the effect that the applicant/firm/Agency is not blacklisted by any Govt. Organisation.			
7.	An affidavit to the effect that the applicant /firm either himself/herself or thorough any partner/close relation i.e., son/daughter/father/mother does not already have a concurrent licence from the Central University of Haryana, Mahendergarh for running the trade mention in the EoI form.			
8.	PAN Number			
9.	GSTIN No.			
10.	Documentary Support for eligibility criteria (See Eligibility Criteria)			
11.	Any other document (s)			

Note: EoI form for **empanelment of advertising** should be written **EoI documents for empanelment of advertising agency and name of the Agency should also be written on the envelope.**

Name of the Agency/bidder should also be written on the envelope. Name of Agency with complete address, and Name of work should be clearly mentioned on the envelopes.

Application form is not transferable

Date:-----